भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1577
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

ब्रिटिश उत्पादों के लिए भारतीय बाज़ार खोलना

1577. श्री सचिदानन्दम आर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार की किसानों की इस चिंता पर क्या प्रतिक्रिया है कि ब्रिटिश उत्पादों, जिनमें उसके कृषि उत्पाद भी शामिल हैं, के लिए भारतीय बाज़ार को वास्तव में बिना किसी शुल्क या सीमा के खोलने से लाखों भारतीय किसानों की आजीविका और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है;
(ख) क्या अन्य देशों के साथ और अधिक एफटीए करने का कोई प्रस्ताव है और इस पर वार्ता चल रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार एफटीए पर आगे न बढ़कर किसानों के हितों की रक्षा करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारत अपने वैश्विक व्यापार का विस्तार करने तथा भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ सक्रिय रूप से व्यापार वार्ता कर रहा है। वर्तमान में, भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता, भारत-पेरू मुक्त व्यापार समझौता, भारत-चिली व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता, भारत-यूएसए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और किसानों के हितों की रक्षा और हमारे कृषि उत्पादों के लिए सुरक्षित बाजार पहुंच के लिए यूके के साथ काम करते समय इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

एमएसएमई सहित किसानों और घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए, एफटीए में उन वस्तुओं की संवेदनशील, नकारात्मक या बहिष्कृत सूची बनाए रखने का प्रावधान है, जिन पर सीमित या कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की स्थिति में, किसी देश को एफटीए के अंतर्गत पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के भीतर आयात पर एंटी-डंपिंग और सुरक्षा उपायों जैसे व्यापार उपचारात्मक उपायों का सहारा लेने की अनुमति है। इसी तरह, उत्पाद-विशिष्ट नियमों सहित मूल नियमों को भी स्टेकहोल्डर्स के परामर्श से विकसित किया जाता है। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में व्यापार में तकनीकी बाधाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं ताकि दोनों पक्षों के मानकों, तकनीकी नियमों और पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों के बारे में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अतिरिक्त, एफटीए गैर-तकनीकी बाधाओं को दूर करते हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं के लिए निर्यात बाजारों तक सुगम और अधिक प्रभावी पहुँच संभव होती है। एफटीए में उभरती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप समीक्षा हेतु उप-समितियाँ भी शामिल हैं।

*****